अप्रैल 2023
वर्ष 37 संख्या 3-4
मूल्य 5 रुपये

भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी)
की केन्द्रीय कमेटी का मुखपत्र

प्रतिरोध का स्वर

नौकरी की सुरक्षा वापस जीतो, वर्ग एकता की रक्षा करो और संगठित हों! के आवाहन के साथ

तिरुपति में इफ्टू का 7 वां अखिल भारतीय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न

18 अप्रैल 2023 को तिरुपति (आंध्र प्रदेश)में देर शाम इफ्टू का सातवां अखिल भारतीय सम्मेलन उत्साही प्रतिनिधियों के जोरदार नारों के साथ संपन्न हुआ। 16 से 18 अप्रैल तक आयोजित इस सम्मेलन में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और तमिलनाडु के 400 प्रतिनिधि एकत्रित हुए थे।

सम्मेलन की शुरुआत 16 अप्रैल 2023 को सुबह 10.30 बजे लक्ष्मीपुरम सर्किल से नेल्लीमारला शहीद मैदान (पद्मावती पार्क) तक निकले एक विशाल मार्च के साथ हुई। इफ्टू की निवर्तमान राष्ट्रीय कमेटी के सदस्यों के नेतृत्व में विशेष रूप से स्थानीय जिलों व आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों से आए हजारों कार्यकर्ताओं ने विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों के साथ मार्च किया। रंग-बिरंगा जुलूस जिसमें महिला योजना कर्मचारियों की बड़ी संख्या में भागीदारी थी, इफ्टू के लाल झंडों एवं बैनरों से सजा हुआ था। जुलूस के आगे-आगे अरुणोदय कार्यकर्ता चल रहे थे और कई स्थानों पर उन्होंने नृत्य व संगीत कला प्रोगाम किये। मुख्य बैनर निवर्तमान राष्ट्रीय कमेटी के सदस्यों ने उठा रखा था और उन्होने इफ्टू के सातवें सम्मेलन के प्रतीक के रुप में 7 बडे झण्डे भी उंचे लहराये हुए थे। मार्च में बिरादराना संगठनों के कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ-साथ बिरादराना जुझारू ट्रेड यूनियन केंद्रों के नेता भी शामिल हुए थे।

जन सभा

जनसभा नेल्लीमारला शहीद मैदान में हुई जिसकी शुरुआत अरुणोदय के प्रेरक गीत से हुई। आंध्र प्रदेश इफ्टू राज्य कमिटी के महासचिव व राष्ट्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड पोलारी ने वक्ताओं को मंच पर आमंत्रित किया।

इफ्टू राष्ट्रीय कमेटी की अध्यक्ष कामरेड अपर्णा ने सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने संक्षेप में देश में मजदूरों की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए यह इंगित किया कि नई सदी अस्थाई मजदूरों और घटती मजदूरी की सदी साबित हो रही है जिस स्थिति को हमें बदलना होगा। देश भर में चल रहे मजदूरों के कई संघर्षों, सांप्रदायिक, फासीवादी, विभाजनकारी चुनौती और लोकतांत्रिक अधिकारों के दमन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इफ्टू को मजदूर वर्ग को संगठित करने पर ध्यान देना चाहिए, इफ्टू के काम करने के तरीके को विकसित करना चाहिये और स्वयं तथा संयुक्त गतिविधि को उत्प्रेरित करके तीव्र संघर्षों को खडा करना चाहिए। हमें मजदूर विरोधी कारपोरेट पक्षधर नीतियों को परास्त करना होगा। इसके बाद उन्होंने सभा की मुख्य अतिथि तेलुगु साहित्य के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, लोकतांत्रिक और महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉ. कात्यायनी को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर कात्यायनी काकेतिया विश्वविद्यालय वारंगल में पढ़ाती थीं।

तेलुगु में अपने आधे घंटे के भाषण में प्रोफेसर कात्यायनी ने देश के कई मुद्दों पर बात की। मजदूर वर्ग के सामने लेबर कोड, निजीकरण और ठेकेदारीकरण सहित अन्य चुनौतियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों, सांप्रदायिक स्थिति, जातिगत शोषण और महिलाओं के अधिकारों पर अपने विचार व्यक्त किए।

इफ्टू के निवर्तमान महासचिव कामरेड बी. प्रदीप अगले वक्ता थे। उन्होंने अपने 15 मिनट के संबोधन में मजदूर वर्ग के समक्ष खड़ी चुनौतियों को स्पष्ट किया। उन्होंने सार्वजनिक धन से निर्मित सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और कारपोरेट मुख्यतः विदेशी कारपोरेट को औने पौने दामों पर सौंपे जाने तथा औद्योगिक संबंध कोड में निहित यूनियन बनाने एवं संघर्ष करने के अधिकार पर हमले के खिलाफ जमकर आलोचना की। उन्होंने मजदूर वर्ग की एकता को सांप्रदायिक फासीवादी चुनौती के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अच्छे दिनों के नारों का पर्दाफाश किया और कथित अमृत काल में कामगारों की वास्तविक स्थिति बताई। नीतियों के खिलाफ संघर्ष खड़ा करने के उत्साहवर्धक आह्वान के साथ उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया।

चौथे वक्ता इफ्टू की राष्ट्रीय कमेटी के सचिव और आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी के अध्यक्ष कामरेड पी. प्रसाद ने आन्ध्र प्रदेश में मजदूर वर्ग के संघर्षों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समक्ष चुनौतियों का विस्तार से वर्णन किया।

तत्पश्चात जयललिता सरकार के दमन का निशाना रहे तमिलनाडू के जाने-माने सांस्कृतिक कर्मी कामरेड कोवन के नेतृत्व में तमिलनाडु की पाला सांस्कृतिक टीम ने सभा में एक प्रेरक गीत प्रस्तुत किया।

राष्ट्रीय कमेटी के अंतिम वक्ता राष्ट्रीय कमेटी सदस्य और तेलंगाना इफ्टू राज्य कमेटी के अध्यक्ष कामरेड टी. श्रीनिवास ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में मजदूर वर्ग के समक्ष चुनौतियों का विवरण दिया।

अगले दो वक्ता आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी से थे – उपाध्यक्ष का. हरिकृष्णा, और संयुक्त सचिव का. भारती। कामरेड हरिकृष्णा ने कई पहलुओं पर बात की और उन्होंने तिरुपति शहर के बारे में एक सुरुचिपूर्ण, स्पष्ट और सरल रूप से वर्ग संदेश दिया। उन्होंने बताया कि कैसे

(आगे पृष्ठ 32 पर)

20 मार्च 2023 : दिल्ली के रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चे की जनसभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा (केकेयू) के नेता का. राजेन्दर सिंह दीपसिंहवाला

16 अप्रैल 2023 : तिरुपति रैली का एक दृश्य

तिरुपति में इफ्टू का 7 वां अखिल भारतीय सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न

(पृष्ठ 1 से आगे)

तीर्थयात्रियों की संख्या 1995 के बाद से प्रतिदिन लगभग 40000 से बढ़कर 75–80 हजार प्रतिदिन हो गई है और मंदिर की कमाई 800 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़ रुपए सालाना हो गई है। मंदिर की देखरेख में लगे स्थाई कर्मचारियों की संख्या 15500 से घटकर 9000 हो गई है। वहीं दूसरी ओर ठेका मजदूरों की संख्या डेढ़ हजार से बढ़कर इस समय 12000 हो गई है। उन्होंने अपील की कि मजदूर ईश्वर से तो प्रार्थना करते हैं, किंतु यह केवल संघर्ष ही है, जो उनकी नौकरियों की रक्षा कर सकता है।

कामरेड भारती ने मुख्य रूप से देश में स्कीम केयर कर्मियों – आशा और आंगनबाडीं की स्थितियों और चुनौतियों को रेखांकित किया। उन्होंने संक्षेप में आंध्र प्रदेश में उनके द्वारा किये गए संघर्षों की जानकारी दी।

अगले 3 वक्ता कामरेड के. सुब्रमण्यम (तिरुपति जिला इफ्टू कमेटी के महासचिव), वी.आर.ज्योति (अध्यक्ष चित्तूर जिला इफ्टू और एपी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन की महासचिव) और एन. सुरेंद्र (चित्तूर जिला इफ्टू महासचिव) थे। जिला एआईकेएमएस नेता कामरेड वेंकैया और वेंकटरमण मंच पर उपस्थित थे। वक्ता के तौर पर आमंत्रित रायलसीमा स्टडीज के अध्यक्ष श्री भूमन सभा में आए, लेकिन गंभीर रूप से अस्वस्थ होने के कारण अपना वक्तव्य नहीं दे पाए। बैठक का समापन अरुणोदय के गीत और उत्साही नारेबाजी के साथ हुआ।

इसी दिन शाम को 6 से 9 बजे तक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आंध्र और तेलंगाना की अरूणोदय टीमों के साथ तमिलनाडु की पाला संस्कृतिक टीम ने कई कार्यक्रम प्रस्तुत किए।

जुझारू ट्रेड यूनियनों के साथ चर्चा

शाम को इफ्टू की राश्ट्रीय कमेटी ने बिरादराना जुझारू ट्रेड यूनियनों के नेताओं, जिन्हें हमने अपने उद्घाटन सत्र को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया था, के बीच एक चर्चा रखी थी। इस प्रकार कामरेड संजय सिंघवी (अध्यक्ष टीयूसीआई), कामरेड गौतम मोदी (महासचिव एनटीयूआई), कामरेड अमिताभ (डब्ल्यूएससीसी) कामरेड विजय कुमार (एनडीएलएफ–एससीसी के अध्यक्ष), कामरेड चेन्नमा (कर्नाटक श्रमिक संघ), कामरेड आनंद लोगनाथन (महासचिव एनडीएलएफ) ने भाग लिया। एआईएफटीयू (न्यू) ने सूचित किया था कि उस दिन उनका एक और कार्यक्रम था। सार्थक चर्चा हुई जो आगे भी जारी रहेगी। मुद्दों को ठोस रुप से चिन्हित करने और संयुक्त संघर्षों के निर्माण करने पर सभी ने सहमति व्यक्त की।

उद्घाटन सत्र

यह सत्र 17 अप्रैल की सुबह इफ्टू अध्यक्ष द्वारा इफ्टू के ध्वजारोहण के साथ षुरू हुआ। इसके बाद इफ्टू महासचिव ने प्रांगण में स्थापित एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। अगले 2 दिनों में सभी गतिविधियां कामरेड सत्यनारायण सिंह नगर परिसर में आयोजित की गई जहां प्रतिनिधि सत्र भी आयोजित किए गए थे और प्रतिनिधियों के ठहरने का भी यहीं इंतजाम था।

इसके तुरंत बाद इफ्टू अध्यक्ष अपर्णा की अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र षुरू हुआ। यह सत्र गुणवत्ता के लिहाज से बहुत समृद्ध था। कामरेड बी प्रदीप महासचिव ने स्वागत समिति के अध्यक्ष सहित चार सदस्यों और अन्य वक्ताओं को मंच पर बुलाया। षहीदों की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखने के बाद स्वागत समिति के अध्यक्ष श्री के.वी.चौधरी के संबोधन के साथ कार्यवाही षुरू हुई। अंग्रेजी और तेलुगु में उनके संबोधन की प्रतियां पहले ही वितरित की जा चुकी थीं।

सम्मेलन के उद्घाटन के लिए जेएनयू के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉ अरुण कुमार को आमंत्रित किया गया। उनके संबोधन के सारांश का अनुवाद प्रतिनिधियों को विभिन्न भाषाओं में वितरित किया जा चुका था। हिंदी में अपना भाशण देते हुए डॉ अरुण ने भारत में गहराते आर्थिक संकट और मजदूर वर्ग के समक्ष चुनौतियों पर बहुत ही व्यापक और सरल ढंग से अपनी बात रखी। उन्होंने असंगठित क्षेत्र के विकास या कारपोरेट और सरकार के संबंधों पर, सरकार के आंकड़ों और दावों पर जोरदार ढंग से सवाल उठाए। उन्होंने मजदूर वर्ग पर जोर दिया कि व्यवस्थागत बदलाव की जरूरत है और उन्हें ही इसका नेतृत्व करना होगा। उन्होंने सम्मेलन को अपनी शुभकामनाएं दी।

उसके बाद 6 जुझारू ट्रेड यूनियनों के नेताओं ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। केएसएस से कामरेड चिनम्मा, एनडीएलएफ के उपाध्यक्ष कामरेड सरवन्ना, एनटीयूआई के महासचिव कामरेड गौतम मोदी, एसडब्ल्यूसीसी के अध्यक्ष कामरेड अमिताभ और टीयूसीआई के तमिलनाडु राज्य महासचिव कामरेड जे जीवन कुमार ने अपनी एकजुटता व्यक्त की ओर सम्मेलन का अभिवादन किया। एनडीएलएफ (एससीसी) और अंतरराष्ट्रीय खनिक समन्वय से एकजुटता के संदेश पढ़े गए।

सम्मेलन के लिए एकजुटता और अभिवादन के संदेश तब अन्य क्षेत्रों के बिरादराना जन संगठनों द्वारा दिए गए। इस प्रकार उद्घाटन सत्र को कामरेड वी. वेंकटरमैया अध्यक्ष एआईकेएमएस, कामरेड झांसी (अध्यक्ष पीओडब्ल्यू तेलंगाना, संयोजक पीएमएस– पीओडब्ल्यू–आईजेएम समन्वय), कामरेड भास्कर (महासचिव एपी राज्य पीडीएसयू) और कामरेड राज शेखार (अध्यक्ष अरूणोदय एपी राज्य) ने संबोधित किया। सत्र का समापन सांस्कृतिक दल द्वारा एक उत्साहपूर्ण गीत के साथ किया गया।

प्रतिनिधि सत्र

दोपहर के भोजन के बाद राष्ट्रीय कमेटी के कामरेड अनिमेश, पोलारी और आशीष की समिति द्वारा प्रतिनिधियों के पंजीकरण के बाद पहला सत्र शुरू हुआ। प्रतिनिधि सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पहले कामरेड गुर्रम विजय कुमार अध्यक्ष एआईएफटीयू (न्यू) ने सम्मेलन को एकजुटता का संदेश दिया।

निवर्तमान महासचिव बी. प्रदीप ने निवर्तमान राष्ट्रीय कमेटी को सम्मेलन की संचालन समिति घोषित किया। उन्होंने

(शेष पृष्ठ 6 पर)

सम्मेलन के पूर्व झंडातोलन करते हुए इफ्टू अध्यक्ष का. अपर्णा

उदघाटन सत्र : मंच का एक दृश्य

अडानी : भारत के कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला

सैमुअल जॉनसन ने 1774 में विलियम पिट और उनके अनुयायियों द्वारा देशभक्ति के स्वघोषित उपयोग की एक प्रसिद्ध बयान के साथ आलोचना की थी ''देशभक्ति बदमाश की अंतिम शरण स्थली है'', लेकिन अडानी और उनके समर्थकों आरएसएस–भाजपा के स्वयंभू देशभक्तों के लिए यह पहली शरण स्थली है। 24 जनवरी को हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक की जिससे अदानी समूह के शेयरों में गिरावट शुरू हुई तो अपनी कंपनियों के लिए अरबों डालर के विदेशी धन को आकर्षित करने का दावा करने वाले अडानी ने भारत की विकास गाथा के खिलाफ विदेशी साजिश का आरोप लगाना शुरू कर दिया। भारत के जो पर्याय माने जाते हैं उनमें एक और नया नाम जुड़ गया है। इसमें अडानी, व्यक्तिगत रूप से मोदी और संस्था के रूप में आरएसएस शामिल हैं।

इस लेख में नवीन ने अडानी के व्यवसाय में उनके भाग्य उदय और देश में सत्तारूढ़ व्यवस्था से इसके जुड़ाव, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबे समय से निकटता को लेकर देश में उठे विवादों के कुछ पहलुओं का विश्लेषण भी किया है। हो सकता है कि अडानी और उनके समर्थकों द्वारा गुस्से में व्यक्त की गई प्रतिक्रिया का हिस्सा इस तथ्य के कारण हो सकता है कि वह ईडी, आईटी और सीबीआई को हिंडनबर्ग के खिलाफ नहीं लगा सकते। जैसा कि उन्होंने पहले भारत में उन लोगों के खिलाफ किया था, जिन्होंने अडानी की व्यवसायिक गतिविधियों पर सवाल उठाए थे।

इस खुलासे के कुछ खतरनाक पहलुओं का पता चलता है। बड़े पैमाने पर शेयरों में हेरा फेरी और लेखा–जोखा संबंधी धोखाधड़ी व्यवस्थित रूप से अदानी समूह की कंपनियों द्वारा की जाती है। अदानी के शेयर जिनका बाजार मूल्य कृत्रिम रूप से मारीशस स्थित शेल कंपनियों के माध्यम से बढ़ाया गया था। तब इन शेयरों को एसबीआई और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों तथा एलआईसी जैसे वित्तीय संस्थानों से बड़े कर्ज डठाने के लिए कोलेटरल के रुप में इसतेमाल किया गया था। अब इन शेयरों में गिरावट के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से आम लोगों का पैसा खत्म हो रहा है। वित्तीय संस्थान जोखिम में हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता व्यक्त की है। सत्ता चलाने वालों ने अदानी समूह को इस तरह उदारता से सुविधा दी है, यह देश भर में चर्चा का विषय है। एक उदाहरण है जब अदानी ने आस्ट्रेलिया में एक खदान ली थी और उस देश के वित्तीय संस्थानों ने उसे वित्त देने से इनकार कर दिया था, उस समय भारतीय स्टेट बैंक ऑस्ट्रेलिया में खदान के संचालन के लिए 1 अरब डॉलर का ऋण देने के लिए एक झटके में आगे आया था !

पीएम मोदी ने संसद में भी इस मुद्दे को संबोधित करने से इंकार कर दिया है जबकि विपक्षी दलों के कई नेताओं ने इस मुद्दे पर जांच और सरकार की मनमानी जैसे असहज सवाल उठाये हैं। सरकार कब तक अदानी के बिजनेस डीलिंग के सवालों से बचती रहेगी ? अगर इस मुद्दे पर छुपाने के लिए केंद्र सरकार के पास कुछ नहीं है तो वह संसद में बहस और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री पार्टी (जेपीसी) से जांच के लिए सहमत क्यों नहीं है? जेपीसी पहले भी इस तरह के कई मामलों की जांच कर चुकी है। विपक्ष में रहते आरएसएस–भाजपा यह मांग करते रहे हैं। अब वह इस तरह की जांच का कड़ा विरोध कर रहे हैं। स्पष्ट है कि उनके पास छुपाने के लिए बहुत कुछ है और अगर वे डटे रहे तो उनके पास छुपने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी।

किसी भी जांच में मारीशस स्थित शेल कंपनियों के स्वामित्व की जांच भी शामिल होनी चाहिए। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी द्वारा 38 मारीशस स्थित संस्थाओं को नियंत्रित करने का उल्लेख किया है, जिन्होंने अदानी की कंपनियों के शेयरों में अरबों डालर का निवेश किया जिससे उनकी साख बढ़ी और इससे उन्हें बाजार और बैंकों से कर्ज लेने में मदद मिली। आरएसएस–भाजपा के 'स्वदेशी' दावों को संतुष्ट करने के लिए विदेशी ही नहीं कई भारतीय पत्रकारों ने भी अदानी समूह के व्यवसायिक तौर–तरीकों के बारे में कई सवाल उठाए हैं जिसमें विशेष रूप से अदानी का स्टाक रखने वाले फंड के शेयर धारक से संबधित सवाल भी शामिल हैं। जांच उन सभी संस्थाओं पर केंद्रित होनी चाहिए जिन्होंने मारीशस के रास्ते से अडानी के शेयरों में पैसा लगाया है और जो इन कंपनियों के पीछे हैं तथा जिन्होंने इनमें प्रत्यक्ष अथवा बेनामी निवेश किया है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जांच इस बात पर केंद्रित होनी चाहिए कि क्या नियामक एजेंसियों से समझौता किया गया था और क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने कर्ज देते समय उचित सावधानी बरती थी ? क्या जांच इस बात से संबंधित होगी कि अडानी के कारोबार में धन पम्प करने के लिए वित्तीय संस्थानों पर दबाव डालने के लिए राजनीतिक ताकत का कितना इस्तेमाल किया गया था, जो अब अदानी के शेयरों में गिरावट के कारण नुकसान के खतरे में हैं।

जांच इस बात से भी संबंधित होनी चाहिए कि सेबी ने अडानी के शेयरों की जांच क्यों नहीं की जो उसे करनी चाहिए थी। ऐसा न करने के लिए सेबी पर क्या दबाव था ?

आरएसएस–बीजेपी सरकार द्वारा अदानी समूह पर कृपा बरसाने के कई उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनकी जांच की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया में कोयला खनन संचालन के लिए एसबीआई द्वारा लोन दिलाने के साथ अदानी को भारत में कोयला खदानों का अधिग्रहण करने के लिए नियमों में ढील दी गई थी। यह भी आरोप है कि कैसे जीएमआर समूह पर मुंबई हवाई अड्डे में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए दबाव डाला गया था। आरएसएस–भाजपा सरकार की ताकत को देखते हुए भी जीएमआर ने उनके ऊपर दबाव डाले जाने से इंकार किया है। इसकी भी जांच की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 में लीक हुई एक सरकारी ऑडिट की रिपोर्ट से पता चलता है कि अदानी पावर को किस तरह प्रमुखता दी गई, ताकि उसे झारखंड में कोयला बिजली संयंत्र से उच्च बिजली दर वसूल करने की अनुमति मिले। अदानी पर सरकार द्वारा बरसाई गई सभी कृपाओं और एहसानों की निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए क्योंकि वे दर्शाते हैं कि कैसे आरएसएस–भाजपा ने अदानी समूह की कंपनियों के पक्ष में फैसले करने के लिए सरकार द्वारा तय किए गए सभी नियमों व शर्तों को तोड़ दिया। और स्वतंत्र जांच से ही इसका खुलासा हो सकता है।

अडानी के खुलासे का पूरा असर अदानी समूह पर तब तक नहीं पड़ सकता जब तक कि वह राजनीतिक संरक्षण से वंचित ना हो जाए। हिंडन बर्ग की रिपोर्ट बताती है कि 2014 में अदानी की संपत्ति लगभग 7 बिलियन डालर थी जो बढ़कर 100 बिलियन डालर से अधिक हो गई। अडानी के उदय की एक महत्वपूर्ण विशेषता सरकार द्वारा समूह को हार्ड एसेट्स के रूप में बंदरगाह, हवाई अड्डे, खान, रेलवे स्टेशन, गोदाम और भी बहुत कुछ उपहार स्वरूप दिया जाना है। अदानी द्वारा इन अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के पीछे की वास्तविकता को सामने लाया जाना चाहिए।

सभी पूंजीपतियों के उदय की जड़ें सत्ता से उनके गठजोड़ में रही हैं। यानी राजनीतिक सत्ता चलाने वालों से उनके गहरे ताल्लुक और उनका समर्थन रहा है। इसमें आरएसएस–भाजपा सरकार ने इस भाईचारे में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जिससे जनता में यह स्थापित हो गया है कि वह केवल दो बिजनेस टायकून्स गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के लिए काम करती है। और यह भी सर्वविदित है कि वे विदेशी कंपनियों के साथ अत्यंत निकटता से जुड़े हैं और उन्हें उनका समर्थन हासिल है। आम लोगों की लूट और कुछ चहेतों को उपहार आरएसएस–भाजपा द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति की यह महत्वपूर्ण विशेषता रही है।

.....

कोरोना महामारी और अनियोजित लॉकडाउन के कारण आम आदमी के लिए अभूतपूर्व आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि देश की आर्थिक वृद्धि नीचे चली गई, लेकिन इसी अवधि के दौरान 100 अरब डालर से अधिक संपत्ति वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। गौतम अडानी ऐसे ही एक व्यक्ति हैं और 2022 तक वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बनने में कामयाब हो गए।

ऐसे पूंजीपतियों के धन की वृद्धि में एक विशेष कंपनी के शेयरों की कीमतें एक बड़े हिस्से के रूप में योगदान करती हैं। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के प्रत्येक 10 रुपये की कीमत वाले 50 शेयर हैं। तब आप की कुल संपत्ति का मूल्य 500 रुपये होगा। अब अगर शेयर की कीमत बढ़ कर 12 रुपये हो जाती है तो आपकी संपत्ति का मूल्य 600 रुपये हो जाएगा। शेयरों की कीमतों में इस तरह की कृत्रिम वृद्धि ने अडानी की सम्पत्ति में वृद्धि करने में मदद की है। पिछले 1 साल में अदानी कम्पनियों के शेयर की कीमतें 101% से 167% बढ़ी है। कुल मिलाकर बीते 3 वर्षों में अदानी कंपनियों के लिए कभी–कभी शेयर की कीमतें 1398% या 2121% तक बढ़ गई हैं। शेयर कीमतों की स्थिति में वृद्धि ने वास्तव में अडानी को दुनिया का दूसरा सबसे अमीर आदमी बनने में सबसे ज्यादा मदद की है।

गौतम अडानी के लिए क्रोनी कैपिटलिज्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार एक के बाद एक नए सरकारी ठेके उसे दिलाने के लिए रास्ते में आने वाली रुकावटें हटाती गई। इसकी वजह से उसकी कंपनियों के शेयर की कीमतें बढ़ती गईं। इस स्मोक स्क्रीन ने उन्हें भारत में सार्वजनिक या निजी वित्तीय संस्थानों से बड़े पैमाने पर ऋण पाने का पात्र बना दिया। इस बीच उन्होंने सरकारी संपत्ति बंदरगाहों, हवाई अड्डा, कोयले की खदानों को भी सस्ते दामों पर खरीदा जिससे उन्हें अपने निजी पूंजी पोर्टफोलियो का विस्तार करने में मदद मिली।

24 जनवरी 2023 को अमेरिका स्थित एक शेयर बाजार विश्लेषक हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी के व्यापारिक साम्राज्य पर रिपोर्ट प्रकाशित की। इस रिपोर्ट ने अडानी की कंपनियों के शेयर की कीमतों पर सवाल उठाए। हिंडनबर्ग के अनुसार ''अडानी के शेयरों को उनकी वास्तविक कीमतों से अधिक दर पर बेचा गया था क्योंकि शेयर की कीमतों में हेरफेर करके कृत्रिम रूप से वृद्धि की गई थी। भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक अडानी समूह दशकों के दौरान एक बेशर्म स्टॉक हेरफेर और लेखा जोखा की धोखाधड़ी योजना में लगा हुआ था''।

हेराफेरी कैसे की गई ? रिपोर्ट बताती है कि अदानी कंपनी के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न कंपनियों के नाम पर है जो मारीशस सहित अन्य देशों में पंजीकृत हैं लेकिन वास्तव में उनका अस्तित्व नहीं है। इन फर्जी कंपनियों के माध्यम से अडानी कंपनियों के शेयरों में तरह–तरह से पैसा लगाया गया है और बदले में शेयर की कीमतों में हेरफेर की गई है। हिंडनबर्ग ने कहा कि यह रिपोर्ट पूर्व अधिकारियों के साथ साक्षात्कार और हजारों दस्तावेजी शोध पर आधारित थी जिसमें शीर्ष अधिकारियों की गतिविधियों के बारे में चिंता जताई गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि ''अडानी की 7 कंपनियां ओवरवैल्यूड थीं''। रिपोर्ट आने के बाद अदानी कंपनियों के शेयर की कीमतों में भारी गिरावट शुरू हो गई। अदानी ने खुद अपनी 120 बिलियन डालर की फार्च्यून कंपनी में 48.5 बिलियन डालर का नुकसान उठाया है।

कभी दुनिया के सबसे धनी लोगों में नंबर दो पर रहने वाले गौतम अडानी ''ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स'' (03 फरवरी 2023) में गिरकर 21वें नंबर पर आ गए हैं। वह अपने प्रतिद्वंदी और साथी भारतीय टायकून रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुकेश अंबानी से भी एक पायदान नीचे खिसक गए हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अडानी की कुल संपत्ति का आधा हिस्सा खत्म हो गया है। फोर्ब्स के अनुसार आरोपों ने रिपोर्ट आने के कुछ ही दिनों में अडानी के व्यापारिक साम्राज्य से 66 बिलियन डॉलर से अधिक का बाजार मूल्य मिट गया। अदानी की निजी फार्च्यून कंपनी से 30 बिलियन डॉलर से अधिक का सफाया हो गया। अदानी समूह के

!(शेष पृष्ठ 5 पर)

गौ रक्षा के नाम पर लिचिंग : हिन्दुत्ववादी ताकतों का एजेण्डा

अनिल दुबे

साहित्यकार और पत्रकार विष्णु नागर की ''ईश्वर की कहानियां'' पुस्तक संग्रह की एक कहानी देश के मौजूदा हालात को बेहतरीन तरीके से व्यक्त करती है। लघु कहानी का सार संक्षेप यह है कि एक बार ईश्वर धरती पर आए। उन्होंने धरती पर सामाजिक व सांस्कृतिक स्थितियों को देखा। स्वाभाविक है कि ईश्वर धरती पर अक्सर भारत में ही जन्म लेते रहे हैं। इसलिए वह भारत में ही आए। घूमघाम कर वह वापस स्वर्ग लोक लौटे तो बहुत ही दुखी थे। उनके चेलों ने उनसे पूछा ''ईश्वर आप धरती से लौटकर आने के बाद इतने दुखी क्यों हैं, ब्राह्मण, गाएं व मनुष्य वहां सब सुरक्षित तो हैं'' ? उन्होंने जवाब दिया ''मेरे समय में ब्राह्मण गाएं खाते थे, लेकिन अब गाएं आदमियों को खा रही हैं'' !

आज गायों को लेकर ब्राम्हनिकल हिंदुत्व ने जो माहौल देश में पैदा कर दिया है उसके परिणामस्वरूप देश में खेती करने वाले या कृषि पर निर्भर लगभग 70% प्रतिशत आबादी को छुट्टा घूमने वाले गोवंश ''चर'' रहे हैं। एक तरफ किसानों की खून पसीने से खड़ी की गई फसलें आवारा पशु खा जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनसे बचने के लिए गांव–गांव और खेत–खेत में कांटों और ब्लेड के तारों की बाड़ किसानों को लगानी पड़ रही हैं जिसमें फंस कर पशु भी घायल हो रहे हैं। आवारा पशुओं से सड़कों पर दुर्घटनाओं से और लोगों को घायल करने से मनुष्य हताहत हो रहे हैं। अथवा चारे की कमी से गोवंश मर रहे हैं। दूसरी तरफ गौ रक्षा के नाम पर हिंदुत्ववादी लंपटों की भीड़ अल्पसंख्यकों और दलितों की हत्या कर रही है।

ज्ञात हो कि हिंदुत्ववादी संगठनों के पितृ पुरुष व ''माफी वीर'' सावरकर गाय को मां नहीं मात्र एक पशु मानते थे। 2014 में आरएसएस–भाजपा की केंद्र में सरकार बनने के बाद से राजनीति और पत्रकारिता में एक नया शब्द जुड़ा गया है लिंचिंग ! लिंचिंग मायने भीड़ द्वारा किसी को घेरकर और पीट–पीटकर मार डालना। ऐसी घटनाओं की बीते 9 वर्षों में बाढ़ सी आ गई है। खास तौर पर चुनावों से ठीक पहले हिंदी भाषी राज्यों में यह मुद्दा गरमाने लगता है। ऐसा भी नहीं है कि मॉब लिंचिंग केवल भाजपा शासित राज्यों में ही हो रही हो बल्कि हिंदुत्ववादी संगठन विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों बिहार, राजस्थान, झारखंड में भी गौ रक्षा के नाम पर हत्या करते फिर रहे हैं। इस पर सरकारें इच्छा शक्ति न होने से कठोर कार्रवाई नहीं कर पा रही हैं।

बिहार में जनता दल (यू), राजद व कांग्रेस गठबंधन की नितीश कुमार सरकार के राज में सीवान जिले में बीती होली त्योहार के ठीक एक दिन पहले मंगलवार को मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया जिसमें हसनपुर गांव के रहने वाले 56 वर्षीय नसीम कुरैशी और उनके भतीजे फिरोज अहमद कुरेशी जो अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे उन पर गोमांस ले जाने का आरोप लगाकर हमला कर दिया गया। मीडिया खबरों के अनुसार पटना से 110 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में जोगिया गांव में कथित गौ रक्षकों की भीड़ ने उन्हें मस्जिद के पास रोक लिया। फिरोज भागने में सफल रहा लेकिन भीड़ ने नसीम कुरैशी को लाठी डंडों से पीटा। पुलिस के अनुसार भीड़ ने खुद कुरैशी को रसूलपुर गांव में पुलिस को सौंप दिया जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हत्या के मामले में पुलिस ने स्थानीय सरपंच सुशील सिंह, रवि साह और उज्जवल शर्मा को मॉब लिंचिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है।

5 फरवरी को राजस्थान के भरतपुर से लापता जुनेद और नासिर को हरियाणा और राजस्थान के बजरंग दल और कथित गौ रक्षकों ने पीट–पीटकर उनकी ही गाड़ी बोलेरो में बंद कर जिंदा जला दिया। राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है तो हरियाणा में भाजपा की मनोहर लाल खट्टर सरकार है लेकिन 2 राज्यों के गौ रक्षकों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। दोनों राज्यों की पुलिस वारदात के इलाके को लेकर विवाद करती रही जबकि बुरी तरह से घायल जुनैद और नासिर को हत्यारे 15 घंटे तक अपनी गाड़ी में लेकर सड़कों पर घूमते रहे। जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल की शिकायत के आधार पर भरतपुर में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। मृतकों के परिजनों ने अपनी शिकायत में कहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दोनों का भरतपुर से अपहरण किया। इस मामले के आरोपियों में से तीन हरियाणा पुलिस के मुखबिर भी थे। मोनू नामक आरोपी हरियाणा सरकार के गौ सुरक्षा टास्क फोर्स का सदस्य है। पुलिस के अनुसार इस मामले में राजस्थान और हरियाणा के दो गौ रक्षक संघ शामिल थे। बुरी तरह से पीटने के बाद जुनैद और नासिर को आरोपी हरियाणा पुलिस के पास ले गए लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने से इनकार कर दिया। अंत में गौ रक्षकों ने उन दोनों को कार में बंद कर जला दिया।

भीड़ द्वारा जिंदा जला देने की घटनाएं आजादी के बाद भी क्रूर सामंती और पुरुष प्रधान समाज में गाहे–बगाहे सुनने में आती रही हैं। मुख्यतः ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को डायन बताकर जिंदा जला देने अथवा बच्चा चोरी के मामलों में भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर देने के मामले यदा–कदा सुनाई देते थे लेकिन आरएसएस–भाजपा के सत्ता में आने के बाद से उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश में गौ रक्षा के नाम पर मुस्लिमों के खिलाफ सांप्रदायिक उन्माद को हवा देने से ऐसी नृशंस हत्याओं की घटनाओं में तेजी आई है। ब्राह्मणवादी सांप्रदायिक ताकतें कथित हिंदू राष्ट्रवाद के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक ध्रुवीकरण कर रही है जो उसके फासिस्ट राज को बनाए रखने और मजबूत करने का काम कर रहा है। इसके लिए हिंदुत्ववादी ताकतें मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसके लिए उसने बड़े पैमाने पर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, गौ रक्षा दल, महाराणा प्रताप सेना जैसे अनेक नामों से बेरोजगारों और लंपट तत्वों को संगठित कर रखा है। भाजपा शासित राज्यों गुजरात, मध्यप्रदेश के अलावा विपक्ष शासित राज्यों राजस्थान और झारखंड में दलितों की भी गौ तस्करी या मारने के मामलों में हमले और हत्याएं हो रही हैं।

लिंचिंग शब्द पहली बार मीडिया और राजनीति में 20 सितंबर 2015 से प्रचलित हुआ जब उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी इलाके में 52 वर्षीय अखलाक की बछड़ा चोरी करने और बीफ खाने के शक में भीड़ ने पीट–पीटकर हत्या कर दी थी। इस मामले में महाराणा प्रताप सेना और बजरंग दल के लोगों का नाम सामने आया था। इस मामले को केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने मात्र एक दुर्घटना करार दिया था। 1 अप्रैल 2017 को हरियाणा के नूह में रहने वाले दूध के कारोबारी पहलू खान राजस्थान के अलवर से गाय खरीद कर लौट रहे थे तो उन्हें गौ तस्करी के शक में मौत के घाट उतार दिया गया था। 22 जून 2017 को बल्लभगढ़ पर दिल्ली मथुरा पैसेंजर ट्रेन में नाश्ता करने और फिर सीट को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ लोगों ने 17 वर्षीय जुनैद की चाकू मारकर हत्या कर दी जबकि उसके दो भाईयों हासिम और साकिर घायल हो गए थे। 29 जून 2017 को झारखंड के रामगढ़ जिले में अलीमुद्दीन अंसारी की पीट–पीटकर हत्या कर दी गई। 55 वर्षीय अंसारी रामगढ़ के छतरपुर इलाके से अपनी वैन में मांस लेकर जा रहे थे। गौ रक्षा समिति के लोगों ने उन पर हमला किया और रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाजार टांड इलाके में सरेआम उनकी हत्या करके वैन में आग लगा दी। 30 जुलाई 2018 को हरियाणा के कोल गांव स्थित अपने घर से रकबर खान और उनके दोस्त असलम खान पैदल ही गायों को ले जा रहे थे तो भीड़ ने उन पर हमला किया। असलम भागने में सफल रहे लेकिन रकबर को भीड़ ने पीट कर मार डाला। फरवरी 2022 में सत्तारूढ़ जदयू के स्थानीय नेता खलील आलम की अपहरण करके हत्या की गई। उन पर गौ मांस का व्यापार करने का आरोप लगाया गया था। इस संदर्भ में उस समय एक वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर जारी हुआ था। ये मात्र चुनिंदा घटनाएं नहीं हैं बल्कि हिंदी भाषी राज्यों में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं।

गोवंश की तस्करी और बीफ को लेकर लिंचिंग की घटनाओं के अलावा सैकड़ों घटनाएं देश में रोज घट रही हैं जिसमें अल्पसंख्यकों के रोजगार और कामकाज पर हमला कर उनकी अर्थव्यवस्था को ही धाराशाई किया जा रहा है। मुस्लिम दुकानदारों का खास तौर पर रेहड़ी, पटरी पर खोमचा लगाने, ठेलों पर सब्जी बेचने वाले या मेहनत मजदूरी का अन्य काम करने वाले अल्पसंख्यकों का सोशल बायकाट भी उसी कड़ी का हिस्सा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर दिल्ली के जहांगीरपुरी आदि इलाकों में बुलडोजर चलाकर उनके घरों और दुकानों को तोड़ा जाना भी अल्पसंख्यक विरोधी मुहिम का हिस्सा है। यही नहीं किसी विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर कानपुर, इलाहाबाद आदि शहरों की तरह मुसलमानों पर बुलडोजर की गाज गिराई जाती है। कारपोरेट मीडिया में अल्पसंख्यक विरोधी माहौल बनाने और उसका इस्तेमाल चुनावी राजनीति में करने में संघ की मोदी–योगी सरकार कामयाब रही है। इसके विपरीत शासक वर्गों की अन्य विपक्षी पार्टियां लिंचिंग करने वाले हिंदुत्ववादी संगठनों का खुलकर विरोध नहीं करती रही हैं। उन्हें इस बात का डर है कि इससे उन पर बहुसंख्यक विरोधी होने का ठप्पा लग जाएगा जिसका खामियाजा उन्हें चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। हालांकि जनता और उसके सवालों से दूर होते जा रहे विपक्ष दल अपनी जमीन खोते जा रहे थे। संघ–भाजपा की सरकारें फिलहाल अपने मुस्लिम विरोधी होने के नैरेटिव के जरिए अल्पसंख्यकों को चुनावी राजनीति में हाशिए पर धकेल देने की मुहिम में कामयाब हुई हैं।

देश में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग हिंदू संगठनों द्वारा उठाई जाती रही है लेकिन उसे वैधानिक महत्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायधीश शेखर कुमार यादव ने अपने एक फैसले में दे दिया। उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की टिप्पणी करते हुए कहा ''गाय की भारतीय संस्कृति में अहम भूमिका है और पूरे देश में उसे मां का दर्जा दिया जाता है। वेद और महाभारत जैसे भारत के प्राचीन ग्रंथों में गाय को महत्वपूर्ण रूप में दिखाया गया है। यही भारत का सांस्कृतिक प्रतीक हैं जिसके लिए भारत जाना जाता है। हालात को देखते हुए गाय की रक्षा को हिंदुओं के मूलभूत अधिकारों में शामिल किया जाना चाहिए''। लिंचिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2018 में केंद्र सरकार से संसद में कानून लाने को कहा था इसके अलावा लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक सक्रियता और दंडात्मक उपायों का प्रावधान करने का निर्देश दिया था। अदालत ने राज्य सरकारों से भी कहा कि वे प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी मनोनीत करें। तब से लेकर अब तक इस मामले में अभी तक कोई कानून नहीं बन पाया है और ना ही किसी को कठोर सजा मिली है। ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज की टिप्पणी सवाल जरूर पैदा करती है। अदालतों में भी अब लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों को लेकर जन विरोधी फैसले लेने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

गौ रक्षा की जमीनी हकीकत यह भी है कि बीते 5 वर्षों में भारत दुनिया भर में सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश बन गया है और बीफ निर्यात में वह दूसरे स्थान पर है। आरएसएस–भाजपा का दोगलापन इसी से समझा जा सकता है कि उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में गाय उसके लिए माता है जबकि दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर राज्यों में बीफ का खुलेआम इस्तेमाल होता है। पिछले दिनों मेघालय में चुनावों के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने गौ मांस के सवाल पर कहा ''केंद्र में भाजपा को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं और हमने किसी भी चर्च पर हमले होते नहीं देखा है। बीफ खाने पर भी कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। मैं भाजपा में हूं और मैं स्वयं बीफ खाता हूं''। और मेघालय में बीफ खाने वाले भाजपा के नेता चुनाव जीत गए।

दरअसल ब्रिटिश राज के खिलाफ 1857 में संग्राम के बाद से अंग्रेजों की सरपरस्ती में साम्प्रदायिक विभाजन गहराने

➔

➔

लगा था। देश में साम्प्रदायिक संगठनों का प्रोपेगेंडा निरंतर जारी रहा और विभाजन में उनकी सक्रिय भागीदारी थी। उन्होंने महात्मा गांधी की भी हत्या कर दी। कांग्रेस के अंदर क्योंकि खुद हिंदुत्ववादी ताकतें मौजूद रहीं हैं लिहाजा उनके खिलाफ कभी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। सत्ता में आने का मौका उन्हें राम मंदिर आंदोलन और '90 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के दौर में मिला। 2014 में आरएसएस–भाजपा के बहुमत के साथ सत्ता में आने के बाद सरकारी क्षेत्र की कंपनियों का अंधाधुंध विनिवेश चंद देशी–विदेशी कारपोरेट कंपनियों को दिया जाने लगा। बेहिसाब मुनाफा दिलाने के लिए श्रम कानूनों को समाप्त किया गया, तीन कृषि कानून लाए गए और आदिवासियों को जमीन से बेदखल करने के लिए एफआरए में संशोधन किया गया। किसानों की एकजुटता और वर्ष भर चले आंदोलन के कारण सरकार को उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। आदिवासी वन अधिकार कानून के लिए बड़ी लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे हैं। सरकार की कारपोरेट परस्त नीतियों के परिणाम स्वरूप बेरोजगारी में भारी वृद्धि हुई है और महंगाई तेजी से बढ़ रही है। मिडिल क्लास पर टैक्स की भारी मार पड़ रही है। खुदरा व्यापारी और एमएसएमई सेक्टर की जीएसटी की मार से कमर टूट गई है। कोरोना महामारी के बाद मध्यमवर्गीय परिवार के करोड़ों लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ चुके हैं।

ऐसे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरह फासिस्ट तौर तरीके अपना चुकी है। इसके लिए संसद से लेकर लोकतांत्रिक संस्थाओं, केंद्रीय जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और यूएपीए जैसे काले कानूनों के जरिए अपने विरोधियों की आवाज दबाने में लगी हुई है। मुसलमानों व दलितों के खिलाफ हमले चुनावों के आसपास और तेज हो जाते हैं। अभी जिस तरह उद्योगपति अदानी का प्रकरण हुआ है और जनता के पैसे से लाखों करोड़ों रुपए की एलआईसी पहली बार घाटे में गई है। ठीक उस समय बिहार में नसीम कुरैशी और हरियाणा में जुनेद व नासिर को गौ मांस और तस्करी के नाम पर मार देने की घटना के अपने खास मायने हैं। तब जबकि अगले 1 वर्ष में लोकसभा के आम चुनावों के साथ ही आधा दर्जन से अधिक राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के जरिए आरएसएस–भाजपा सरकार जहां चुनावों में वोट बटोरती है वहीं जनता का ध्यान बुनियादी आर्थिक सवालों से भटकाती है। ऐसे में अल्पसंख्यकों व दलितों पर हो रहे हमलों का चौतरफा कड़ा विरोध होना चाहिए लेकिन यह भी स्पष्ट है कि संघ–भाजपा द्वारा मुस्लिम विरोधी अवधारणा पर बहस उनके ही मैदान में जाकर लड़ना है। ऐसे में फासीवादी ताकतों को परास्त करने के लिए देश के मजदूर, छात्र, किसान कर्मचारी, युवा, बेरोजगार, अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी समुदायों के सवालों के साथ महिलाओं और नागरिक अधिकारों को इंकलाबी नारे के साथ जुड़ना होगा। यह दूरगामी ही सही लेकिन मुक्ति का यही एकमात्र रास्ता है।

इफ्टू नेशनल कमेटी द्वारा 12 घंटे का कार्य दिवस थोपने के विरुद्ध संघर्ष का आवाह्न

तमिलनाडु सरकार ने 48 घंटे के कार्य सप्ताह के भीतर 12 घंटे के कार्य दिवस को वैध बनाने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन किया है। इसमें यह केंद्र सरकार के नक्शेकदम पर चल रही है, जबकि वह उसे अपने वैचारिक और राजनीतिक विरोधी का नाम देती है। केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे कोड बिल्कुल यही प्रस्तावित करते हैं, फर्क सिर्फ यह है कि वे फैक्ट्रीज एक्ट को ही पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। यही कानून यूपी, कर्नाटक और अन्य बीजेपी के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों द्वारा भी पारित किया गया है। मजदूर वर्ग का मजाक उड़ाते हुए, तमिलनाडु के भाजपा विधायक उन लोगों में शामिल थे, जो 12 घंटे के संशोधन के पारित होने के खिलाफ तमिलनाडु विधानसभा से बाहर चले गए, शायद यह कल्पना करते हुए कि मजदूर इस ढोंग को नहीं देख सकते!

तमिलनाडु सरकार का यह दावा कि 48 घंटे के सप्ताह को 'सख्ती से लागू' किया जाएगा, को काफी संदेह के साथ लिया जाना चाहिए। फॉक्सकॉन महिला श्रमिकों के सामने आने वाली स्थिति, तमिलनाडु में ईएसआई कवरेज का खराब प्रतिशत और श्रम कानूनों को लागू करने में तमिलनाडु की श्रम मशीनरी की कुल विफलता को कौन भूल गया है? ये खोखले वादे हमेशा शासकों द्वारा तब दिए जाते हैं जब वे हमारे अधिकारों को पैरों तले कुचल रहे होते हैं।

8 घंटे का कार्य दिवस एक कठिन लड़ाई रही है जो मजदूर वर्ग के लिए कड़ी मेहनत से जीता गया अधिकार है। यह मजदूर को, सामाजिक आवश्यकताओं के साथ जीने वाले मनुष्य माने जाने के अधिकार पर आधारित है। इसलिए 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे सामाजिक जीवन की मांग की थी। इसके कानूनी अधिनियमन का मार्ग शहीदों द्वारा प्रज्वलित है। इस अवधारणा को लापरवाही से रौंद कर 8 घंटे के दिन से जोर हटाकर 48 घंटे के सप्ताह पर जोर देकर (उसे भी उन्होंने लागू नहीं करना है), शासक सम्पूर्ण जीवन जीने के श्रमिक वर्ग के अधिकार को नकारना चाहते हैं। मानव शरीर को स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए साप्ताहिक या मासिक नवीनीकरण की नहीं बल्कि दैनिक नवीनीकरण की आवश्यकता होती है। 4 दिनों के लिए 12 घंटे का कार्य दिवस मजदूरों के आराम पर, स्वास्थ्य पर असर डालेगा। यह हमारे देश में विशेष रूप से सच है जहां न्यूनतम मजदूरी का अधिकार शायद ही लागू किया जाता है, जहां बहुत कम प्रतिशत श्रमिकों के लिए ईएसआई सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसलिए पूरे श्रमिक वर्ग का पोषण खराब स्तर पर है।

इफ्टू तमिलनाडु के सभी श्रमिकों और सभी ट्रेड यूनियनों से आह्वान करता है – आइए हम तमिलनाडु सरकार द्वारा हमारे अधिकारों पर इस नए हमले का मुकाबला करें और हम मोदी सरकार के कॉर्पोरेट समर्थक 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ अपने संघर्ष को मजबूत करें।

(इफ्टू अध्यक्ष अपर्णा व महासचिव का. टी. श्रीनिवास द्वारा 23 अप्रैल 23 को जारी बयान)

मलियाना हत्याओं के अभियुक्तों की रिहाई पर जनहस्तक्षेप का बयान

जन हस्तक्षेप मलियाना में 36 वर्ष पूर्व हुए मुस्लिमों के नरसंहार के 41 आरोपियों को निचली अदालत द्वारा निर्दोष घोषित करने के फैसले को न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत और लोकतंत्र की हत्या बताते हुए कड़ी आलोचना करता है। इंसाफ के नाम पर यह क्रूर मजाक है और इसमें अब तक की सभी सरकारें, जांच एजेंसियां और अदालत भी सहभागीदार है। मेरठ के बाहरी इलाके में बसे मलियाना गांव में पुलिस और स्थानीय हिंदू गुंडा तत्वों ने मिलकर 23 मई 1987 को 72 मुसलमानों को मार डाला था। 36 वर्षों से अत्यंत धीमी गति से चल रहे मामले में थोड़ी तेजी तब आई जब 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सुनवाई तेज करने की अपील की गई। सरकारों और जांच एजेंसियों की तत्परता का आलम यह रहा कि 36 वर्षों में पुलिस 31 अभियुक्तों का कोई सुराग नहीं लगा सकी और सुनवाई के दौरान 23 अभियुक्तों की मौत हो गई। साक्ष्यों के अभाव में 41 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। अदालत ने भी अपने फैसले में सरकार, पुलिस अथवा जांच एजेंसियों को लापरवाही और सुस्ती बरतने के लिए दोषी नहीं ठहराया।

अदालत ने 26 पेज के फैसले में हिंसा के दिल दहलाने वाले ब्योरे जरूर दर्ज किए हैं। जैसे एक युवक की मौत गले में गोली लगने से हुई। एक पिता को तलवार से टुकड़े–टुकड़े कर दिया गया और 5 साल के एक बच्चे को आग में झोंक दिया गया। इस कांड में छोटे बच्चे से लेकर 80 वर्ष के बूढ़े तक की हत्या हुई थी। उस समय के मीडिया रिपोर्ट में नरसंहार के लिए पुलिस, पीएसी और हिंदू समूहों को जिम्मेदार ठहराया था। इस कांड से 1 दिन पहले मेरठ के ही हाशिमपुरा में पीएसी के जवानों ने 48 पुरुषों को घरों से बाहर निकाला और इनमें से 42 को गोलियों से भून कर मार डाला जिनकी लाशें बाद में हिंडन नहर और नदी से

(शेष पृष्ठ 6 पर)

कारपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला

(पृष्ठ 3 का शेष)

शेयर बाजार में हेरफेर, मनी लांड्रिंग और कर चोरी के बारे में इस तरह की खबरों का भारतीय शेयर बाजार पर समग्र नकारात्मक प्रभाव पड़ा क्योंकि विदेशी निवेशक देश के शेयर बाजार छोड़ रहे हैं।

लेकिन समस्या अडानी और उसके निजी साम्राज्य तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों विशेषकर भारतीय स्टेट बैंक से बड़ी मात्रा में धन उधार लिया है। संचरण राशि 9.9 बिलियन डालर से अधिक है जो मार्च 2022 तक उनकी 5 कंपनियों अदानी एंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी ग्रीन एनर्जी और अदानी ट्रांसमिशन में निवेश की गई थी। अडानी के शेयर में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने बड़ी रकम लगाई है। इक्विटी और शेयर के तहत एलआईसी ने अदानी समूह की कंपनियों में दिसंबर 2022 तक 35917.31 करोड़ रुपए लगाए हैं। इस तरह भारत की 2 सबसे बड़े वित्तीय संस्थान का भविष्य एक हद तक अडानी के भाग्य से जुड़ा है।

हिंडनबर्ग रिपोर्ट के प्रकाशन के कुछ दिनों बाद अडानी ने उसे मैनहैट्टन का मैडाफ्स बताते हुए आरोपों को निराधार कहा। एक बयान में अडानी ने कहा "यह केवल किसी विशिष्ट कंपनी पर एक अवांछित हमला नहीं है बल्कि भारत, भारतीय संस्थानों की स्वतंत्रता, अखंडता और गुणवत्ता के साथ ही भारत के विकास की कहानी और महत्वाकांक्षा पर एक सुनियोजित हमला है।"

हिंडनबर्ग शोध समूह ने इसके बदले में जवाब देते हुए कहा "अडानी समूह द्वारा भारत के भविष्य को रोका जा रहा है जिसने देश को व्यवस्थित रूप से लूटते हुए खुद को भारतीय ध्वज में लपेट लिया है। हम यह भी मानते हैं कि धोखाधड़ी, धोखाधड़ी है। तब भी जब यह दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक के द्वारा किया जाता है"।

इतने बड़े घोटाले के बावजूद ना तो भाजपा सरकार और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जांच का आश्वासन दे रहे हैं। लोग जानते हैं कि गौतम अडानी मोदी के करीबी दोस्त हैं। मोदी उनके साथ विदेश यात्रा करने से इनकार करते हैं लेकिन उनके निजी विमान का लाभ उठाते हैं। हालांकि इस घोटाले के उजागर होने के इतने दिनों बाद भी ना तो सीबीआई, ईडी और ना ही सेबी से जांच करने को कहा जा रहा है। विपक्ष ने अवश्य कुछ सवाल उठाए हैं।

यदि पूंजीपति और राज्य पर्यायवाची बन जाते हैं तो यह समझना होगा कि देश में फासीवाद ताकत और मजबूती हासिल कर रहा है। इटली के बेनिटो मुसोलिनी ने एक बार कहा था "फासीवाद वह व्यवस्था है जिसमें कारपोरेट और राज्य एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं"। अडानी के प्रति सरकार का पक्षपात और उसके संगठन की देश के साथ तुलना मुसोलिनी के विचारों को देश में विश्वसनीयता देती प्रतीत होती है।

हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले भारतीय पत्रकारों सुचेता दलाल और परंजय गुहा ठाकुरता ने अडानी के शेयरों के मूल्यों में संदिग्ध रूप से भारी वृद्धि पर सवाल उठाए थे जिसके कारण उन्हें सरकारी उत्पीड़न का सामना करना पड़ा था। इस बीच यह बात सामने आई है कि पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के भाई अदानी ग्रुप शेयर घोटाले में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं। पिछले जून में उन्होंने एलोरा कैपिटल के नाम से अवैध रूप से मारीशस से निवेश लाकर अदानी समूह के शेयर की कीमत बढ़ाने की कोशिश की जिसके कारण उन्हें कंपनी के कार्यकारी पद से इस्तीफा देना पड़ा।

कुल मिलाकर बाजार अर्थव्यवस्था और उसे राज्य के समर्थन के बीच यह रस्साकशी द्वारा अडानी के भविष्य को निर्धारित करने की संभावना है। अरबपति गौतम अडानी अपने कारपोरेट जीवन के सबसे खराब संकट से जूझ रहे हैं जो एक अमेरिकी शॉर्ट सेलर द्वारा शुरू किया गया था।

फ्रांस में मजदूरों के व्यापक तथा जुझारु संघर्ष का इफ्टू द्वारा समर्थन

फ्रांस में कई महीनों से लाखों श्रमिक सरकार की प्रस्तावित पेंशन सुधार नीति के खिलाफ सड़कों पर हैं। श्रमिकों, ट्रेड यूनियंस और देश की दो–तिहाई आबादी के जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बावजूद राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रोन ने 16 मार्च को एकजुटता और जुझारूपन के कारण फ्रांस सरकार को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स की 26 मार्च 2023 को पूर्व निर्धारित राजकीय यात्रा को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

कर्मचारी और श्रमिक विरोधी पेंशन

सेवानिवृत्ति की आयु और पेंशन पात्रता की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 64 वर्ष करने के लिए हस्ताक्षर कर दिए। पेंशन सुधारों के खिलाफ फ्रांस जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों से दहल रहा है। बीते 2 माह में देश भर में 10 बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। 23 मार्च को इस बार 35 लाख से ज्यादा मजदूरों के सड़कों पर उतरने की खबर है। खुद फ्रांस सरकार ने माना है कि 10 लाख से अधिक प्रदर्शनकारी सड़कों पर थे।

विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन पुलिस ने श्रमिकों पर वॉटर कैनन, लाठीचार्ज और सामूहिक गिरफ्तारी करके क्रूरता और दमन का सहारा लिया। पुलिस दमन से उत्तेजित श्रमिकों ने पेरिस की सड़कों पर 900 से अधिक स्थानों पर आग लगा दी और जगह–जगह बैरिकेड्स लगा दिए। शहर के टाउन हाल और बोर्ड पर भी हमले किए गए। सरकार का दावा है कि 400 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं फ्रांसीसी मानवाधिकार आयोग ने प्रदर्शनकारियों के दमन और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कड़ी आलोचना की है। व्यापक विरोध प्रदर्शनों में श्रमिकों की सुधारों का पूरे फ्रांस में कई महीनों से विरोध हो रहा है, लेकिन राष्ट्रपति मैक्रोन ने उसे अनदेखा करते हुए 16 मार्च को विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके और संसद को दरकिनार कर सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए। फ्रांस सरकार विरोध प्रदर्शनों का क्रूरता पूर्वक दमन कर रही है, लेकिन श्रमिक पूरी निडरता के साथ डटे हैं और ट्रेड यूनियंस ने 28 मार्च को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। फ्रेंच जनरल कनफेडरेशन ऑफ लेबर के आंकड़ों के अनुसार देश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी और 94 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन सुधारों के खिलाफ हैं। ट्रेड यूनियन इन सुधारों को खारिज कर मजदूरी व पेंशन बढ़ाने और सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर 60 वर्ष करने की मांग कर रहे हैं।

इंडियन फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस (इफ्टू) फ्रांस के मजदूरों के वीरतापूर्ण संघर्ष को सलाम करता है और भारत के मजदूरों की ओर से कारपोरेट के इशारे पर उनके पेंशन अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ उनके संघर्ष में एकजुटता व्यक्त करता है।

इफ्टू का 7 वां अखिल भारतीय सम्मेलन

(पृष्ठ 2 का शेष)

कामरेड अपर्णा, पटोले, पीपी, श्रीनिवास और कुलविंदर के 5 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल का प्रस्ताव दिया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। कामरेड राज सिंह, अनिमेश और आशीष की मिनट लेखन कमेटी ने अपना स्थान ग्रहण किया और इस प्रकार 7वें सम्मेलन की शुरुआत हुई।

राष्ट्रीय कमेटी की ओर से कामरेड अपर्णा द्वारा आधिकारिक संशोधनों की सूची के साथ "मजदूर वर्ग को आह्वान" का मसौदा प्रस्तुत किया गया। मसौदे का 2 महीने पहले अनुवाद और वितरण किया गया था और सभी राज्य सम्मेलनों में भी उस पर चर्चा की गई थी। प्रस्तुति के बाद 29 कामरेड ने या तो व्यक्तिगत रूप से या राज्य समितियों की ओर से कॉल को मजबूत करने के लिए सुझाव और संशोधन पेश किए। संचालन समिति ने दो मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के अलावा करीब–करीब सभी सुझावों को स्वीकार कर लिया। आधिकारिक संशोधनों और स्वीकृत संशोधनों के साथ मसौदा आह्वान को ताली बजाकर और नारेबाजी के साथ स्वीकार किया गया।

कामरेड प्रदीप ने राष्ट्रीय कमेटी की "रिपोर्ट और समीक्षा" को भी इसी सत्र में प्रस्तुत किया ताकि उस पर चर्चा के लिये अगले दिन अधिक समय मिले और प्रतिनिधियों को मसौदे पर विचार करने के लिए भी अधिक समय मिल सके।

अगली सुबह यानी 18 अप्रैल को सत्र सुबह 9 बजे शुरू हुआ और कुल 32 प्रतिनिधियों ने स्वयं या उनकी कमेटियों की तरफ से विचार रखे और एक जीवंत चर्चा हुई। संचालन समिति दोपहर के भोजन के समय बैठी और जब भोजन के बाद का सत्र शुरू हुआ तो कामरेड प्रदीप ने रिपोर्ट में सभी तथ्यात्मक परिवर्तनों को स्वीकार किया और बाकी सब सुझावों पर चर्चा की। तत्पश्चात "रिपोर्ट और समीक्षा" को तालियों और नारेबाजी के साथ पारित किया गया।

इसके बाद नई राष्ट्रीय कमेटी के चुनाव का एजेंडा लिया गया। कामरेड प्रदीप ने पदाधिकारियों और राष्ट्रीय कमेटी सदस्यों की नई टीम का प्रस्ताव रखा। कामरेड ब्यास तिवारी को छोड़कर जिन्होंने उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण कार्यमुक्त होने का अनुरोध किया था, पुरानी राष्ट्रीय कमेटी सदस्यों में से सभी को फिर से चुने जाने का प्रस्ताव दिया गया। सभी तीन आमंत्रितों को नियमित राष्ट्रीय कमेटी सदस्य के रूप में चुने जाने का भी प्रस्ताव था। इसके अलावा आंध्र प्रदेश से कामरेड एम. वैंकटेश्वरालु और भारती, तेलंगाना से कामरेड अरुणा, पश्चिम बंगाल से कामरेड चंदन, दिल्ली से कामरेड राजेश और पंजाब से कॉमरेड जोगिंदर को राष्ट्रीय कमेटी में शामिल करने का सुझाव दिया गया था।

असमान विकास वाले देश, जहां संगठन के विभिन्न स्तर हैं, में लोकतांत्रिक एवं बढ़ते संगठन में जैसा आवश्यक है वैसी कॉमरेडाना, जीवंत चर्चा हुई। अंततः 25 सदस्यों वाली एक नई राष्ट्रीय कमेटी का चुनाव किया गया जिसमें 22 पद तत्काल भरे गये। नई नेतृत्वकारी कमेटी के प्रस्ताव को जोरदार नारों के साथ और ताली बजा कर पारित किया गया। कामरेड अपर्णा को फिर से अध्यक्ष चुना गया। कमरेड पटोले पुनः उपाध्यक्ष चुने गए और उनके साथ कामरेड प्रदीप, पी. प्रसाद और कुलविंदर भी उपाध्यक्ष चुने गए। इस तरह नयी राष्ट्रीय कमेटी में चार उपाध्यक्ष होंगे। कामरेड टी. श्रीनिवास इफ्टू के नए महासचिव चुने गए। कामरेड राज सिंह फिर से सचिव चुने गए हैं और कामरेड पोलारी भी सचिव के रूप में शामिल हुए। कामरेड अनिमेश को राष्ट्रीय कमेटी के कोशाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया। उपरोक्त दिये गये नामों के अलावा राष्ट्रीय कमेटी में बिहार से का. लालू राम तथा सूरेश कनौजिया, प. बंगाल से का. सुजन तथा आशीष, ओडिशा से का. प्रताप तथा उत्तर प्रदेश से का. राधेश्याम शामिल हैं। चुनाव के बाद सभी राष्ट्रीय कमेटी सदस्य और पदाधिकारी उत्साहित प्रतिनिधियों के समक्ष मंच पर आए।

प्रस्ताव

सम्मेलन ने निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए।

1– केंद्र सरकार 4 लेबर कोड, निजीकरण, कारपोरेट–परस्त और मजदूर विरोधी नीतियों को वापस ले।

2– नई पेंशन योजना को अस्वीकार करें और पुरानी पेन्शन योजना लागू करें।

3– राष्ट्रीय उद्योग जूट को बचाओ।

4– सभी ठेका, आउटसोर्सिंग और योजना मजदूरों को नियमित करें।

5– हमाली, हेड लोडर, आटो वर्कर व अन्य के लिए वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की जाए।

6– मोदी सरकार के विभाजनकारी सांप्रदायिक फासीवादी एजेंडे का पर्दाफाश कर उसके विरुद्ध संघर्ष करो।

7– आंध्र प्रदेश सरकार बीओसी कानून के तहत उन योजनाओं को फिर से शुरू करना सुनिश्चित करे, जिनसें पिछले 5 वर्षों से आंध्र प्रदेश के निर्माण मजदूरों को वंचित रखा गया है।

सम्मेलन ने "देश में सभी ठेका, आउटसोर्सिंग और योजना मजदूरों को नियमित करो" के केंद्रीय नारे के साथ मई दिवस पर मजदूर वर्ग को आह्वान जारी किया।

सम्मेलन के विचार विमर्श में भारत की बहुभाषी विविधता को दर्शाते हुए कई भाषाओं का जीवंत उपयोग देखा गया। प्रतिनिधियों की स्पष्टता के लिए अध्यक्ष मण्डल द्वारा कार्यवाही के त्वरित अनुवाद की व्यवस्था की गई थी।

नवनिर्वाचित महासचिव टी. श्रीनिवास ने आंध्र प्रदेश राज्य कमेटी और विशेष रूप से स्थानीय इफ्टू कमेटी, स्थानीय कार्यकर्ताओं और रसोई में काम करने वाले साथियों को सम्मेलन के सफल आयोजन में उनके अपार योगदान के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने प्रतिनिधियों के समक्ष संकल्प लिया कि वे नई जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए खुद को पूरी ताकत से समर्पित करेंगे।

सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय गान (इंटरनैशनेल) के साथ समाप्त हुआ।

मलियाना हत्याओं के अभियुक्तों की रिहाई पर जनहस्तक्षेप का बयान

(पृष्ठ 5 का शेष)

बरामद की गई। इस मामले का खुलासा एक स्थानीय फोटोग्राफर ने किया था जिसके सामने पीएससी मुस्लिमों को गलियों से निकाल कर ले जा रही थी। उस समय केंद्र और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और देश ही नहीं पूरी दुनिया में यह कांड लोकतंत्र पर धब्बा बताया गया था।

मलियाना कांड के भुक्तभोगी परिवार के एक सदस्य के इस वक्तव्य को जन हस्तक्षेप बहुत ही गंभीरता से लेता है "मलियाना जल रहा था, पूरी दुनिया ने धुआं देखा, मगर कोर्ट को यह क्यों नजर नहीं आया"। 36 वर्ष बाद अदालत के इस फैसले से पीड़ित और उनके परिवारों में ही गहरी निराशा नहीं पैदा हुई है, बल्कि लोकतंत्र और न्याय में विश्वास रखने वाले आम नागरिकों और पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को इससे गहरा ध क्का लगा है। जन हस्तक्षेप इस मामले में तत्काल ऊपरी अदालत में अपील करने, सक्षम एजेंसी से जांच कराने और वह सभी सबूत जिन्हें निचली अदालत ने नजरअंदाज किया है उनको ऊपरी अदालत में पेश करने की मांग करता है। ताकि पीड़ित परिवार के परिजनों को देर से ही सही न्याय प्राप्त होता महसूस हो सके।

(जन हस्तक्षेप के संयोजक डॉ विकास बाजपेई द्वारा जारी)

(शेष पृष्ठ 7 पर)

अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन : 21 मई 2023 विशाखपटनम (आंध्र प्रदेश)

हम, आदिवासी, भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। हम अपने देश की आबादी का लगभग 9 फीसदी (लगभग 11 करोड़) हैं। हम पीढ़ियों से प्रकृति की गोद में, यानी जंगलों और पहाड़ियों के अंदर रह रहे हैं। प्रारंभ से ही, हमारी भूमि और वन संसाधनों पर, हमारा अहस्तांतरणीय अधिकार है। लेकिन, कारपोरेट द्वारा संचालित संसाधनों की लूट, विशेष रूप से हमारी भूमि और जंगलों की लूट के कारण, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। भारतीय कारपोरेट की लूट के साथ जुड़कर साम्राज्यवादी कारपोरेट लूट न केवल हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, बल्कि पूरे देश की नाजुक पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन के लिए भी खतरा बन गयी है। इसके अलावा, हमारी प्रकृति–केन्द्रित संस्कृति, भाषा और धर्म आज एक अस्तित्वगत संकट का सामना कर रहे हो। अंडमान के जारवा या उड़ीसा के मनकडिया जैसे हमारे कई समुदाय विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं।

आर्थिक रूप से शोषित, सामाजिक रूप से उत्पीड़ित और विकास की दृष्टि से उपेक्षित, हम अत्यधिक गरीबी, उपेक्षा और पिछड़ेपन के बोझ तले पल कर बड़े होने को मजबूर हो। प्रारंभ में, सामंती व्यवस्था के तहत राजाओं और जमींदारों द्वारा हमारा शोषण और दमन किया गया। पर अंग्रेजों के आने के बाद हमारे ऊपर शोषण और दमन का स्तर कई गुना बढ़ गया। हमारे देश के विशाल वन संसाधनों को लूटने के उद्देश्य से, औपनिवेशिक शासकों ने सबसे पहले 1865 में वन विभाग का गठन किया और हमें जंगलों पर अपने पारंपरिक अधिकार से वंचित कर दिया। बाद में, 1894 के औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण अधिनियम ने हमारे प्राकृतिक आवासों से हमें जबरन बेदखल करने का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे क्षेत्रों को अपने कानूनी और प्रशासनिक नियंत्रण में लाने के लिए अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से, गैर–आदिवासी साहूकारों और सूदखोरों की, बड़े पैमाने पर मैदानी क्षेत्रों से एजेंसी क्षेत्रों में, घुसपैठ को बढ़ावा दिया। इससे हमारा शोषण और दमन बढ़ता गया।

हालाँकि, देश के अधिकांश सामंती राजाओं और जमींदारों ने अपनी सत्ता और निहित स्वार्थों के लिए अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन हमने शुरू से ही उनके शासन का कड़ा विरोध किया। देश में जनता के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत से बहुत पहले, औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हमारे कई सशस्त्र विद्रोह शुरू हो गए थे। इन विद्रोहों का उद्देश्य हमारी भूमि और जंगलों पर हमारे पारंपरिक अधिकारों की रक्षा करना था। वे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष थे। 1808 से 1942 के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिद्धू–कानू, अलूरी सीतारामराजू, कोमराम भीम, चक्र बिसोई, धरंधर भुइयां, रिंदो मांझी आदि, हमारे समुदाय के विभिन्न नायकों ने विदेशी शासन के विरुद्ध कई ऐतिहासिक विद्रोहों का नेतृत्व किया। बड़ी संख्या में हमारे लोगों, महिलाओं और पुरुषों ने इन विद्रोहों में वीरतापूर्वक भाग लिया है और भूमि, जंगल और स्वशासन पर अपने अपरिहार्य अधिकार को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इन आंदोलनों ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय लोगों के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की समाप्ति के बाद भी हमारी स्थिति में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे पूर्वजों के अपार बलिदानों के बावजूद हमारे देश के नए शासकों ने हमारे खिलाफ शोषण और दमन की वही नीतियां जारी रखी हैं। हमारे वन अधिकार, जो एक बार अंग्रेजों ने छीन लिए थे, उन्हें वापस नहीं किया गया; बल्कि जंगलों पर राज्य की पकड़ और मजबूत कर दी गयी है। यहां तक कि आदिवासियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के लंबे संघर्ष के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा बनाए गए वन अधिकार अधिनियम 2006 भी हमें अपने जंगलों पर पूर्ण अधिकार देने में विफल रहा है। वन भूमि में रहने वाले लोगों के सामूहिक और प्राकृतिक निवास अधिकारों को कानून द्वारा शायद ही कभी मान्यता दी जाती है, और अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों को केवल आंशिक रूप से मान्यता दी जाती है। यह 13 सितंबर, 2007 को संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र में 107वीं पूर्णाहुति में मूल निवासियों के अधिकारों को मान्यता दिए जाने के बावजूद है। इसके परिणामस्वरूप, वन संसाधनों पर पूर्ण अधिकारों से वंचित हमारे लोगों को पहले की तरह, वन विभाग के शोषण और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। हमारे लोग, विशेष रूप से तेलंगाना और अन्य राज्यों में, न केवल एफआरए–2006 में सुनिश्चित किए गए अपने अधिकारों से वंचित हैं, बल्कि राज्य सरकार के वनीकरण कार्यक्रम के नाम पर लगातार बेदखली और दमन का सामना भी कर रहे हैं।

अधिनियमन के 16 वर्षों के बाद भी, एफआरए, 2006 को किसी भी राज्य में ठीक से लागू नहीं किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अनुसार अब तक एफआरए की कुल क्षमता का केवल 10 फीसदी ही पूरा हो पाया है। अपने शासन की शुरुआत से ही, आरएसएस–बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार का नेतृत्व हमारी विशाल वन भूमि और संसाधनों को कारपोरेट घरानों को सौंपने की सुविधा के लिए विभिन्न वन और पर्यावरण कानूनों को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। वन भूमि के उपयोग में परिवर्तन की मंजूरी के लिए एफआरए–2006 के कार्यान्वयन की पूर्व शर्त को हटाने के कदम से, हम और हमारे साथ अन्य पारंपरिक वनवासियों के लाखों लोगों को, वन भूमि और आजीविका के साधन से बेदखल किया जाएगा। नवीनतम वन संरक्षण नियम – 2022, हमे मिले वन अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए बनाए गये हैं। कारपोरेट को वन भूमि के हस्तांतरण की सुविधा के लिए, पर्यावरण कानूनों में भी संशोधन किया गया है और एक अध्यादेश जारी किया गया है। इसका प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम (कैम्पा), कंपनियों द्वारा आदिवासियों के उनके आवास से विस्थापन के लिए औचित्य बनाता है, जबकि हमारी भूमि पर पेड़ लगाने के कारण हममें से लाखों लोगों को जबरन, अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। इसी प्रकार, भारतीय वन अधिनियम–1927 में संशोधन का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम पर अनियंत्रित दमन करने के लिए वन विभाग को असीमित अधिकार दिए जा सकें।

देश के शासक वर्ग ने हमारे लिए विकास के अवसर पैदा करने के बजाय, अपने कारपोरेट संचालित 'विकास माडल' को हम पर थोपने की कोशिश की है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट पर आधारित विकास के इस माडल ने हमें जबरन, हमारी जमीन और जंगल से बेदखल कर दिया है। अतीत में शासक वर्ग द्वारा विकास के नाम पर बड़े बांधों, बड़े औद्योगिक और खनन परियोजनाओं की स्थापना से कुछ ही लोगों को लाभ हुआ है, लेकिन हमारे जीवन और आजीविका का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। लाभ उन्होंने उठाया, विस्थापन और विनाश हमारे लिए छोड़ दिया। हालांकि हम देश की आबादी का केवल 9 फीसदी हिस्सा हैं, लेकिन कुल विस्थापितों में आधे से ज्यादा हम आदिवासी हैं। विकास के नाम पर, हमें बिना उचित, पूर्व और पर्याप्त मुआवजा दिये, अपने घरों और आजीविका से जबरन बेदखल कर दिया गया। हम लगातार, सरकार की लापरवाही और धोखे के कारण अनिश्चितता, दुख और कठिनाई का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। बड़ी संख्या में हमारी लड़कियां अपने गांवों से विस्थापित होकर रोजी–रोटी के लिए शहरी क्षेत्रों में घरों में नौकरानी के रूप में काम करने को मजबूर हैं। विस्थापन और अभाव के इस कड़वे अनुभव के कारण कलिंगनगर से नियामगिरि तक, हमारे लोगों ने साहसपूर्वक इस विकास प्रारूप पर सवाल उठाया और विस्थापन और जबरन भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। सरकार वन्य जीवन अभयारण्यों को तेजी से विकसित करके, पर्यटन उद्योग के लिए वनों के उपयोग को विकसित करने की भी योजना बना रही है। 1970 के दशक में इनकी संख्या 9 से बढ़कर अब 564 से अधिक हो गई है। जहां चीतों का आयात किया जा रहा है, वहीं आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है!

शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सुरक्षित पेयजल, आवास आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं हमारे लोगों के लिए केवल एक सपना रही हैं। आज भी हमारे कई आदिवासी गाँवों में न तो उचित सड़कें हैं और न ही विद्युतीकरण। 75 वर्षों के बाद भी, हमारे अधिकांश लोग अत्यधिक गरीबी, भुखमरी और कुपोषण के अधीन रहने को मजबूर हो। गरीबी के कारण हमारे अधिकांश लोग विशेषकर महिलाएं और बच्चे खून की कमी और कुपोषण से पीड़ित हैं। हमारे लोगों में निरक्षरता, स्कूल बीच में छूटना, कुपोषण, भुखमरी, एनीमिया आदि की दर तुलनात्मक रूप से अधिक है। एनईपी के तहत सरकार शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने के बजाय इसे कम कर रही है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान बंद किए गए अधिकांश प्राथमिक विद्यालय मुख्य रूप से आदिवासी गांवों में स्थित हैं।

हालांकि हमारे अधिकांश क्षेत्र संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में शामिल हैं, लेकिन फिर भी हमारे कई गांव अनुसूचित क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं, जो हमें विभिन्न प्रकार के संवैधानिक संरक्षण से वंचित करते हैं। यहां तक कि हमारी कई जनजातियां, जैसे यूपी के कोल और ओडिशा के कंधिया मुंडा भी एसटी सूची में शामिल नहीं हैं। शिक्षा और नौकरियों में आदिवासी आरक्षण का घटिया कार्यान्वयन है।

यह सच है कि हमारे नाम पर कई कानून और योजनाएं बनाई गई हैं लेकिन शासक वर्ग की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण इन्हें लागू नहीं किया गया। एसटी उप योजना को लगातार सरकारों द्वारा कमजोर किया गया है और यहां तक कि बजट में आदिवासी उप–योजनाओं के लिए दिए गए अनुदान को भी हम पर वर्षों तक खर्च नहीं किया जा सका। आदिवासी विकास के लिए सरकार सुविधाएं विकसित करने में पूरी तरह विफल है। हमारी वन उपज के लिए कोई खरीद प्रणाली और एमएसपी नहीं है।

आदिवासियों का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हमारे राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। लेकिन घोर उपेक्षा के कारण हमारी भाषा, साहित्य और संस्कृति आज गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। शासक वर्ग हमारी भाषा और संस्कृति को स्वतंत्र विकास का अवसर देने के बजाय उसकी उपेक्षा और गला घोंटता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने हमारी संस्कृति को हिंदुत्व के साथ जबरदस्ती जोड़ने की नीति को लगातार अपनाया है। हमारी भाषा और साहित्य धीरे–धीरे अन्य प्रमुख भाषाओं जैसे हिंदी, ओडिया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, आदि में आत्मसात हो रहे हैं। हमारी अपनी भाषाओं में कोई भी पुस्तक या पत्रिकाएँ प्रकाशित नहीं होती हैं। लिपियों के अभाव में हमारी अनेक भाषाएँ विलुप्त होने का सामना कर रही हैं। लेकिन केंद्र और राज्य सरकारों दोनों ने न तो हमारी आदिवासी भाषाओं के लिए नई लिपियों को विकसित करने में मदद की है और न ही मौजूदा लोगों के विकास को बढ़ावा दे रहे हैं।

केंद्र में आरएसएस–बीजेपी शासन के पिछले कुछ वर्षों में एक तरफ बड़ी पूंजी के हित में हमारे संसाधनों और आजीविका को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ हमारे लोगों का हिंदूकरण जोरों पर चल रहा है। हमारी सहिष्णु संस्कृति और सांस्कृतिक विविधता आरएसएस और वनवासी कल्याण आश्रम और जनजाति परिषद जैसे उसके फ्रंटल संगठन धर्म के नाम पर हमारे बीच फूट डालने की साजिश कर रहे हैं। हमारे लोगों के कुछ वर्ग को लामबंद करने और ईसाई या इस्लाम अपनाने वाले आदिवासियों के लिए आरक्षण खत्म करने की मांग का उनका हालिया प्रयास इस खतरे की ओर इशारा करता है। यह कुछ और नहीं बल्कि उनके हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है।

इस पृष्ठभूमि में हम 21 मई 2023 को विशाखापत्तनम में एक अखिल भारतीय आदिवासी सम्मेलन आयोजित करने जा रहे हैं। यह विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हमारे समुदाय के महत्वपूर्ण नेताओं और बुद्धिजीवियों की पहल पर बुलाया गया है। यह शोषण, अभाव के खिलाफ हमारे देश के आदिवासी आंदोलन को आकार देने और भूमि, जंगल और संसाधनों पर हमारे अधिकारों को बहाल करने में मील का पत्थर साबित होगा। आइए हम इस सम्मेलन को सफल बनाएं।

(सम्मेलन की आयोजन समिति द्वारा जारी)

7वें आईएफटीयू सम्मेलन का मई दिवस आह्वान

सभी ठेका, आउटसोर्सिंग और योजना मजदूरों को नियमित करने के लिए संघर्ष करो!

चार मजदूर विरोधी लेबर कोड और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण को निरस्त करने के लिए संघर्ष करो!

आइए, भाजपा मोदी सरकार की फासीवादी, साम्प्रदायिक नीतियों का विरोध करें!

मजदूर वर्ग की एकता को बनाए रखें!

मई दिवस की विरासत अमर रहे!

शहीदों को जोहार!

अमेरिकी मजदूर वर्ग ने मजदूरों को सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम पर लगाकर किए जा रहे शोषण के खिलाफ 8 घंटे के कार्यदिवस के लिए संघर्ष किया। मई 1886 के पहले सप्ताह में शिकागो के हेमार्केट चौक में हुए विरोध प्रदर्शनों में कुछ लोगों को पुलिस ने गोली मार दी थी। मजदूरों के नेताओं को हड़बड़ी में दिखावे का मुकदमा चला कर फांसी की सजा दी गई। इफ्टू उन सभी शहीदों को सलाम करता है जिन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस के लिए संघर्ष किया।

शिकागो के शहीदों के बलिदान से भी प्रेरित होकर, भारत के मजदूर वर्ग ने लंबे समय तक संघर्ष किया है और कई कानूनी अधिकार जीते हैं। आज हमें मोदी सरकार के कारपोरेट–परस्त हमले से इन अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना है।

मोदी सरकार राष्ट्रवाद, देशभक्ति और स्वदेशी के नाम पर सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों को बेच रही है। अंतरिक्ष यान, बीमा, रेलवे, सड़कें, तेल, कोयला, बिजली उत्पादन, सेल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल, बीएसएनएल सभी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं जो कॉरपोरेट को बिक्री के लिए तैयार हैं। देश में एक भी सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम ऐसा नहीं है जिसे निजी क्षेत्र को बेचा नहीं जाना है।

कॉरपोरेट श्रम कानून में संशोधन की मांग कर रहे हैं क्योंकि उनके निवेश के मुनाफे को बढ़ाने के लिए यह आवश्यक हैं। मोदी सरकार ने कड़ी मेहनत से जीते गए 29 श्रम कानूनों को कोरोना काल में खत्म कर उनकी जगह चार कोड लाकर मजदूर वर्ग के अधिकारों पर हमला किया है। यदि इन कोड़ों को लागू किया गया तो करोड़ों मजदूर श्रम कानूनों के शिकार हो जाएंगे! मालिकों को मजदूरों को किसी भी समय निकालने का अधिकार दिया गया है। पहले से ही, सार्वजनिक और निजी प्रबंधनों ने स्थायी मजदूरों को कम कर दिया है और ठेका और आउटसोर्सिंग मजदूरों की संख्या को बढ़ा दिया है। इस प्रकार, ये कोड यूनियन बनाने के अधिकार पर हमले और सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति और अधिकार को कमजोर करने के लिए मालिकों के हथियार हैं। ये 4 लेबर कोड मजदूर वर्ग के लिए मौत की सजा के समान हैं।

देश में 95% से अधिक श्रमिक वर्ग असंगठित क्षेत्र में है। हमाली, मोटर, निर्माण, आशा, आंगनवाड़ी, केजीबीवी, मध्याह्न भोजन योजना आदि जैसे असंगठित मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू नहीं की जा रही है। ईएसआई, पीएफ, पेंशन और अन्य वैधानिक अधिकारों को लागू नहीं किया जा रहा है। ग्राम पंचायत कर्मियों, नगर निगम कर्मियों, योजना कर्मियों को स्थायी करने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासनों पर अमल नहीं किया गया है। निर्माण मजदूरों को छोड़कर किसी भी क्षेत्र के असंगठित मजदूरों के लिए कल्याण बोर्ड नहीं है। कोरोना काल से सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें बढ़ गई हैं और बढ़ती कीमतों के अनुरूप न्यूनतम वेतन को बढ़ाया नहीं जा रहा है। न्यूनतम वेतन 27,000 रुपये प्रति माह करने की ट्रेड यूनियनों की मांग पर सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं।

भाजपा सरकार पिछले नौ साल से सत्ता में है लेकिन जनता से किए गए वायदों को उसने लागू नहीं किया है। संसद में एक भी कानून ऐसा नहीं बनाया गया है जो मजदूरों, आम लोगों या किसानों के हित में हो। लेकिन इस अवधि के दौरान, संसद ने कानूनों में संशोधन किया है ताकि देश के धन और प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट, मुख्य रूप से विदेशी को सौंप दिया जा सके। यह सरकार उसकी नीतियों का विरोध करने वाले दलों, व्यक्तियों और ताकतों पर दमन करती है। कार्यकर्ताओं को एनआईए द्वारा शहरी नक्सली और 'देशद्रोही' करार दिया जा रहा है, यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है और जेल भेजा जा रहा है। आरएसएस और उसके फ्रंटल संगठन अल्पसंख्यकों, दलितों, बुद्धिजीवियों, अम्बेडकरवादियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। विविधता वाले देश में एक धर्म, एक भाषा, एक शिक्षा, एक भोजन, एक ड्रेस कोड आदि के नारे लगाते हुए, शासन मजदूर वर्ग के बीच विभाजन पैदा कर रहा है।

138 वें मई दिवस के अवसर पर, शिकागो शहीदों की भावना में, हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, चार लेबर कोड़ों को निरस्त कराने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के निजीकरण के खिलाफ, ठेका, आउटसोर्सिंग एवं योजना कर्मियों के नियमितीकरण के लिए, समान काम के लिए समान वेतन के लिए, पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए व्यापक और निरंतर संघर्ष करने का संकल्प लें। आईएफटीयू मजदूर वर्ग से आह्वान करता है कि वह दीर्घकालीन और जुझारू संघर्षों के लिए आगे आए।

(आईएफटीयू की राष्ट्रीय कमिटी द्वारा जारी)

मनरेगा वेतन पर केन्द्र सरकार की घोषणा पर ए.आई.के.एम.एस. का वक्तव्य

– मनरेगा मजदूरी बढ़ी पर अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम ग्रामीण मजदूरी की आधा रही।

– मनरेगा में चोरी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है।

– एआईकेएमएस की मांग – मनरेगा का पूरा सामाजिक और वित्तीय ऑडिट हो, मांग पर काम मिले, मनरेगा मजदूरी बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिदिन हो।

केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी में संशोधन किया है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल कार्य के लिए न्यूनतम सरकारी मजदूरी, 429 रुपये से लगभग आधी है। घोषित वेतन वृद्धि ग्रामीण भारत के सबसे कमजोर वर्गों के प्रति सरकार की उदासीनता का प्रतीक है। यह मूलभूत आवश्यकताओं के खर्च में वृद्धि की भी पूर्ति नही करती और बिना दिमाग के नौकरशाही तरीके से निष्पादित किया गया है।

मनरेगा कार्य को रोजगार और आजीविका सुरक्षा के रूप में परिकल्पित किया गया है। बेरोजगारी और पलायन से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में इसका क्रियान्वयन और मजदूरी सबसे मजबूत होनी चाहिए थी। लेकिन सूची में ऐसे राज्यों में मजदूरी सबसे कम है – छत्तीसगढ़ 221 रुपये, मध्य प्रदेश 221 रुपये, बिहार 228 रुपये, झारखंड 228 रुपये, यूपी 230 रुपये, उत्तराखंड 230 रुपये, पश्चिम बंगाल 237 रूपये और ओडीशा 237 रूपये। तुलना में हरियाणा में यह प्रति दिन 357 रुपये है।

इस वर्ष केंद्र ने मनरेगा बजट को चालू वित्त वर्ष में 73,000 करोड़ रुपये से 18 प्रतिशत घटाकर वित्त वर्ष 2024 के लिए 60,000 करोड़ रुपये कर दिया है। यह वित्त वर्ष 23 के संशोधित बजट 89,000 करोड़ रुपये से 33 प्रतिशत कम है। आर्थिक सर्वेक्षण ने कटौती को उचित ठहराते हुए कहा है कि मनरेगा को मांग आधारित सेवा के रूप में लागू किया जा रहा है और 24 जनवरी, 2023 तक नौकरी की मांग करने वाले 6.49 करोड़ परिवारों में से 6.48 करोड़ को काम की पेशकश की गई थी। यह आंकड़ा 14.98 सक्रिय मनरेगा श्रमिकों के आंकड़े को छुपाता है, जो लगातार काम की मांग करते हैं और अधिकारी काम के लिए लगभग कभी भी आवेदन दर्ज नहीं करते हैं। पिछले साल 7.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों ने मनरेगा में काम किया था।

मनरेगा आवंटन वित्त वर्ष 2016 में कुल बजट व्यय के 2.4 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2023 में 2.1 प्रतिशत हो गया है और अब वित्त वर्ष 2024 में इसे घटाकर 1.3 प्रतिशत कर दिया गया है। यदि अधिनियम के अनुसार सभी 15 करोड़ व्यक्तियों को प्रति वर्ष 100 दिन का काम दिया जाना है, यह गांव के गरीबों के लिए एक वास्तविक राहत होगी। लेकिन तब मनरेगा मजदूरी के लिए बजटीय आवंटन 3.5 लाख करोड़ रुपये के दायरे में करना होगा।

मनरेगा भुगतान में देरी एक बड़ी समस्या बनी हुई है और इसका प्रमुख कारण केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा का पैसा जारी करने में देरी है।

इस समय मनरेगा में चोरी अब तक के उच्चतम स्तर पर है। इसमें सैकड़ों अनुपस्थित लाभार्थी मजदूरी प्राप्त कर रहे हैं, वास्तविक भूमिहीन और गरीब विकास खंड अधिकारियों और प्रधानों द्वारा भारी भ्रष्टाचार का शिकार हैं। कार्यों और भुगतानों का कोई ऑडिट नहीं होता है, जॉब कार्डों की सूची, किए जा रहे कार्यों, जॉब कार्डों में श्रमिकों की उपस्थिति और भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का कोई सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता है और इस योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्ट गठजोड़ हावी है।

(ए.आई.के.एम.एस. के अध्यक्ष का. वी. वेंकटरमैया तथा महासचिव का. आशीष मित्तल द्वारा 28 मार्च 2023 को जारी बयान)

If Undelivered, Please Return to

Pratirodh Ka Swar

Monthly

Balmukand Khand,
Girinagar,
New Delhi-110019

Hindi Organ of
CPI(ML)-New Democracy

R. N. 47287/87

Book Post

To

प्रकाशक, मुद्रक व स्वामी यतेन्द्र कुमार द्वारा स्टार ऑफसेट, टी-2151/8-ए-2, न्यू पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 से मुद्रित व बालमुकन्द खण्ड, गिरी नगर, नई दिल्ली-110019 से प्रकाशित। सम्पादक : यतेन्द्र कुमार